संख्या-49/2016-995/नौ-5-16-03एनजीआरबीए/2016

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सेन्टेज की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-52/022-0264/2016, दिनांक 15.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम" के अन्तर्गत निर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य अतिरिक्त 4.5 प्रतिशत सेन्टेज की अवशेष कुल धनराशि 613.00 लाख (रू0 छः करोड़ तेरह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :-

(1) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/ भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी ।

(2) इस स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैक/ पोस्ट आफिस /डिपाजिट खाते /पीएलए में नही रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशो के अनुरूप अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक हैं ।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिसका लिये स्वीकृत की जा रही है । स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(5) विभिन्न योजनाओं की स्वीकृत के समय जो विभिन्न शर्ते निर्धारित की गयी थी, उन्ही शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जो आकड़े/विवरण उपलब्ध कराये गये है वह अभिलेखों पर आधारित है। स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व अभिलेखों की पुष्टि पुनः कर लेगें।

(7) एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम एवं झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की मूल लागत की सीमा में ही उक्त धनराशि का व्यय किया जाय। स्वीकृत

लागत से अधिक धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु परियोजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

(8) व्यय वित्त समिति द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं की अनुमोदित लागत में 12.5 प्रतिशत सेन्टेज अनुमन्य किये जाने संबंधी अभिलेखों की पुष्टि करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किया जाये।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों /उपक्रमो में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- 02 -मल जल तथा सफाई-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0107-झील संरक्षण कार्यक्रम (राज्यांश) (के.70/रा.30)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 49/2016-995/नौ-5-16-03एनजीआरबीए/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/झांसी ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो
7- मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
8- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- नियोजन अनुभाग- 3/4
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-17/03/2016

प्रेषण संख्या:- 49

आवंटन आदेश संख्या:- 001-49-2016-995-9-5-16-03NGRBA-16

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

07 - झील संरक्षण कार्यक्रम (राज्यांश) (के.70/रा.30-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	61300000 97014000	61300000 97014000
	योग	वर्तमान प्रगामी	61300000 97014000	61300000 97014000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः करोड़ तेरह लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी